FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

…ज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

खेमाराम जाट बनाम रावताराम जाट

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना नं. 275/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8-8-19	~~प्रार्थी~~/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री रिड़मलाराम सियाग ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/~~वाद~~/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/8/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
28/08/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल हुआ प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। प्रार्थी द्वारा पूर्व में अपने खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाया गया जिसकी प्रति प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। वकील पीठासीन अधिकारी डिग्गा कार्य में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 05/09/19 को पेश हो। [signature] //	

Scanned by CamScanner

05/09/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45pm पर लगाई गई. विपक्षीगण संख्या-1 से 24 स्वयं या इनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया गया परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण व पक्के नेखम स्थापित करवाने के कारण प्रार्थी को यह नेखमबन्दी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर नेखमबन्दी आदेश कीया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबन्दी आवेदन स्वीकार कीया जाकर ~~नेखमबन्दी आदेश कमिश्नर~~ तहसीलदार जायल को कमिश्नर नियुक्त कीया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ कीसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर करवाकर जमाबन्दी करें पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
जायल

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 620
राजस्व आवेदन संख्या – 273/19

दिनांकः– 05/9/2019

प्रार्थीगण — बनाम — **विप्रार्थीगण**

श्री खेमाराम पुत्र लच्छाराम
वगैरा जाति जाट निवासी
दुर्गोणियों का तला, लूनाड़ा
तह. बांयतु जिला बाड़मेर

श्री रावताराम पुत्र रणजीताराम वगैरा
24 निवासी दुर्गोणियों का तला,
लूनाड़ा तह. बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

मौजा दुर्गोणियों का तला, पटवार हल्का लूनाड़ा के खेत खसरा नम्बर 1742 रकबा 90.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क जमा कराकर करे एवं पालना रिपोर्ट पेश करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(अनिल कुमार पूनियाँ)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 621–25

दिनांकः– 5/9/2019

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, लूनाड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेमाराम पुत्र लच्छाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री रावताराम पुत्र रणजीताराम वगैरा 24
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner